

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या — 1073/2024

अनवान : —

1— सुरेन्द्र कुमार सहारण पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

— वादी

बनाम

- 1— हरिराम पुत्र बालुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
- 2— इन्द्राज पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 3— कुलवन्त सिंह पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
- 4— कृष्ण लाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
- 5— पार्वती देवी पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
- 6— रामकुमार पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 7— सावित्री पत्नी सुखलाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 8— रविन्द्र कुमार पुत्र सुखलाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
- 9— अनिल कुमार पुत्र सुखलाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
- 10— कौशल्या पुत्री सुखलाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 11— मीरां पुत्री सुखलाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 12— सुशील कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
- 13— मोमन पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 14— मीरा पत्नी धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 11— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण


दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 22/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 147/139 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 0.6900 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 21/19 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 1.3920 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2, 4, 6, व मृतक सुखलाल पुत्र ख्यालीराम प्रत्येक का हिस्सा, प्रतिवादी


उपखण्ड अधिकारी
नोहर



संख्या 3, 5, 8 प्रत्येक के 1/15 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 4/4 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 1.3780 है० भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 104/101 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.0240 है० भूमि व खाता संख्या 106/103 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.0130 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 102/99 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.0240 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 10 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

जमाबंदी में दर्ज खातेदार सुखलाल पुत्र ख्यालीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 है जिनको अर्जीदावा में पक्षकार बनाया गया है।

उपरोक्त भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण ने समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 147/139 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 0.6900 है० भूमि के प० नं० 356/447 (72) के किला नं. 3/2 की 0.0130 है० भूमि में गै० मु० रास्ता व शेष भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है व 22 डीपीएन के खाता संख्या 21/19 के प० नं० 356/447 (72) के किला नं. 13/2 की 0.1270 है० भूमि में से 0.013 है० पूर्वी पासा की भूमि पर वादी काबिज है व शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 6, 12 यथावत काबिज है व 1/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 काबिज है एवं खाता संख्या 4/4 के प० नं० 356/447 (72) के किला नं. 8 के मिन पूर्व की 0.013 है० गै० मु० रास्ता व किला नं. 8/2 की 0.240 है० नहरी, 13/1 के मिन पूर्व की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 13/1 के मिन पश्चिम की 0.113 है० नहरी, किला नं. 17/2 की 0.012 है० बारानी व 0.001 है० रास्ता व किला नं. 18 की 0.252 है० बारानी व 0.001 है० रास्ता की भूमि पर वादी काबिज है व किला नं. 14 के मिन उत्तर की 0.013 है० नहरी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं खाता संख्या 104/101 के प० नं० 356/447 (72) के किला नं. 5/3 की 0.0120 है० व 6/3 की 0.0120 है० भूमि गै० मु० रास्ता की बजाये प्रतिवादी संख्या 14 काबिज है एवं खाता संख्या 106/103 के प० नं० 356/447 (72) के किला नं. 15/2 की 0.0130 है० गै० मु० रास्ता की बजाये वादी काबिज है तथा खाता संख्या 102/99 के कुल खसरे 1 की 0.0240 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 14 की बजाये प्रतिवादी संख्या 13 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

ॐ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 14 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 15 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा ही पक्षकारान वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा चाहते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 147/139 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 0.6900 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 21/19 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 1.3920 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2, 4, 6, व मृतक सुखलाल पुत्र ख्यालीराम प्रत्येक का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3, 5, 8 प्रत्येक के 1/15 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 4/4 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 1.3780 है० भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 104/101 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.0240 है० भूमि व खाता संख्या 106/103 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.0130 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 102/99 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.0240 है० भूमि प्रतिवादीया संख्या 10 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा ही पक्षकारान वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा चाहते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 को कोई ऐतराज

01
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 147/139 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 0.6900 है० भूमि के प० नं० 356/447 (72) के किला नं. 3/2 की 0.0130 है० भूमि में गै० मु० रास्ता दर्ज किया जाता है व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी व 22 डीपीएन के खाता संख्या 21/19 के प० नं० 356/447 (72) के किला नं. 13/2 की 0.1270 है० भूमि में से 0.013 है० पूर्वी पासा की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 6, 12 के नाम यथावत रहेगी व 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 4/4 के प० नं० 356/447 (72) के किला नं. 8 के मिन पूर्व की 0.013 है० गै० मु० रास्ता व किला नं. 8/2 की 0.240 है० नहरी, 13/1 के मिन पूर्व की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 13/1 के मिन पश्चिम की 0.113 है० नहरी, किला नं. 17/2 की 0.012 है० बारानी व 0.001 है० रास्ता व किला नं. 18 की 0.252 है० बारानी व 0.001 है० रास्ता का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व किला नं. 14 के मिन उत्तर की 0.013 है० नहरी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 104/101 के प० नं० 356/447 (72) के किला नं. 5/3 की 0.0120 है० गै० मु० रास्ता व 6/3 की 0.0120 है० भूमि गै० मु० रास्ता की बजाये 0.0240 है० बारानी भूमि प्रतिवादी संख्या 14 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 106/103 के प० नं० 356/447 (72) के किला नं. 15/2 की 0.0130 है० गै० मु० रास्ता की बजाये 0.0130 है० बारानी भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 102/99 के कुल खसरे 1 की 0.0240 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 14 की बजाये प्रतिवादी संख्या 13 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 1073/2024

अनवान : -

1- सुरेन्द्र कुमार सहारण पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

— वादी

बनाम

- 1- हरिराम पुत्र बालुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
- 2- इन्द्राज पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 3- कूलवन्त सिंह पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
- 4- कृष्ण लाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
- 5- पार्वती देवी पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
- 6- रामकुमार पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 7- सावित्री पत्नी सुखलाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 8- रविन्द्र कुमार पुत्र सुखलाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
- 9- अनिल कुमार पुत्र सुखलाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
- 10- कौशल्या पुत्री सुखलाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 11- मीरां पुत्री सुखलाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 12- सुशील कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
- 13- मोमन पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 14- मीरा पत्नी धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 11- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1073 सन 2024 निर्णय दिनांक - 02/11/2024


आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 147/139 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 0.6900 है० भूमि के प० नं० 356/447 (72) के किला नं. 3/2 की 0.0130 है० भूमि में गै० मु० रास्ता दर्ज किया जाता है व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी व 22 डीपीएन के खाता संख्या 21/19 के प० नं० 356/447 (72) के किला नं. 13/2 की 0.1270 है० भूमि में से 0.013 है० पूर्वी पासा की भूमि का वादी को खातेदार

01

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 6, 12 के नाम यथावत रहेगी व 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 4/4 के प0 नं0 356/447 (72) के किला नं. 8 के मिन पूर्व की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता व किला नं. 8/2 की 0.240 है0 नहरी, 13/1 के मिन पूर्व की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 13/1 के मिन पश्चिम की 0.113 है0 नहरी, किला नं. 17/2 की 0.012 है0 बारानी व 0.001 है0 रास्ता व किला नं. 18 की 0.252 है0 बारानी व 0.001 है0 रास्ता का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व किला नं. 14 के मिन उत्तर की 0.013 है0 नहरी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 104/101 के प0 नं0 356/447 (72) के किला नं. 5/3 की 0.0120 है0 गै0 मु0 रास्ता व 6/3 की 0.0120 है0 भूमि गै0 मु0 रास्ता की बजाये 0.0240 है0 बारानी भूमि प्रतिवादी संख्या 14 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 106/103 के प0 नं0 356/447 (72) के किला नं. 15/2 की 0.0130 है0 गै0 मु0 रास्ता की बजाये 0.0130 है0 बारानी भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 102/99 के कुल खसरे 1 की 0.0240 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 14 की बजाये प्रतिवादी संख्या 13 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर